रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 1988/वैशाख 13, 1910
No. 236] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 1988/VAISAKHA 13, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1988

का.आ. 466(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण भाग

2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 7 मार्च, 1988 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 245 (अ), तारीख 07 मार्च, 1988 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 1 में,—

(1) उपखण्ड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात करने के लिए, निरीक्षण का प्रकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि काली मिर्च संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन के मानकों के अनुरूप है।";

(2) उपखण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात करने के लिए संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन के मानकों को भी मान्यता दी जाएगी।";

(3) उपखण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु संयुक्त राज्य अमेरीका को निर्यात करने के मामले में निरीक्षण का ऐसा प्रमाणपत्र निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा जारी किया जाएगा।"

[फा.सं. 6(9)/88 ई.आई.एण्ड ई.पी.]

एम.आर. शिवारमन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना का.आ. 245(अ) तारीख 7-3-1988 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1988

S. O. 466 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments to the notification of Government of India in the Ministry

of Commerce No. S. O. 245 (E), dated the 7th March, 1988 published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 3, Sub-section (ii) dated the 7th March, 1988, namely :—

In the said notification, in clause 1,—

(1) after sub-clause (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided, for export to United States of America, the type of inspection shall also ensure that Black Pepper conforms to the standards of United States Food and Drug Administration." ;

(2) after sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided, for export to United States of America, the standards of United States Food and Drug Administration shall also be recognised.";

(3) after sub-clause (4), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in case of export to the United States of America such certificate of inspection shall be issued by the Export Inspection Agencies."

[F. No. 6 (9)|88-EI & EP]

M. R. SIVARAMAN, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal notification was published vide S. O. 245 (E), dated 7-3-1988.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988